



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर, 1993

पौष 9, 1915 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या-1696/सबह-वि-1-1(क) 7/1993

लखनऊ, 30 दिसम्बर, 1993

अधिसूचना

विषय

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1993 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया

(अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1993

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 1993]

(जैसा उ० प्र० विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया संश्लिप्त नाम (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1993 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 13
सन् 1977 की
धारा 2 का
संशोधन
धारा 3 का
संशोधन

2--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे प्रागे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहाँ कहीं भी शब्द और शंक "31 दिसम्बर, 1993" पाये हों, उनके स्थान पर शब्द और शंक "31 मई, 1994" रख दिये जायेंगे।

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और शंक "31 दिसम्बर, 1993" के स्थान पर शब्द और शंक "31 मई, 1994" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
एन० के० नारंग,
सचिव।

No. 1696(2)/XVII-V-1-1(KA)-7-1993

Dated Lucknow, December 30, 1993

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Municipality, Notified Area Aur Town Area (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhinyam, 1993 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 8 of 1993) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 29, 1993.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES, NOTIFIED AREAS AND TOWN AREAS (ALPAKALIK VYAWASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1993

[U. P. ACT No. 8 OF 1993]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyawastha) Adhinyam, 1977.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhinyam, 1993.

Amendment of section 2 of U.P. Act 13 of 1977

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyawastha) Adhinyam, 1977, hereinafter referred to as the principal Act, for the word and figures "December 31, 1993" wherever they occur, the word and figures "May 31, 1994" shall be substituted.

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, for the word and figures "December 31, 1993" the word and figures "May 31, 1994" shall be substituted.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी०एस०यू०वी०—ए० पी० 76 सा० (विधा०)--(2762)--1993--850 (सं० १)